# न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः–36/2017
आर.सी.एम.एस. नं.:–2017/00063

1. मूलचन्द रेंगर पुत्र श्री सोना राम जाति रेंगर निवासी ग्राम उदयरामसर बीकोनर ।

--वादी--

–बनाम–

1. जुगी देवी पत्नी भंवर लाल रेंगर जाति रेंगर निवासी रेंगरों का मौहल्ला ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व,बीकानेर।

--प्रतिवादीगण--

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर टी एक्ट 1955**

**अभिभाषक उपस्थितिः–**

–:निर्णयः– दिनांकः– 29.01.2020

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की एक सह खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम उदयरामसर पटवार क्षेत्र उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नं. 1297 तादादी 3.8900 हैक्टेयर, खसरा नं.1303 तादादी 0.1900 हैक्टेयर कुल 4.0800 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है उक्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 सयुंक्त रूप से बतौर खातेदारी टिनेन्ट के काबिज है तथा अपने अपने कब्जे की भूमि को काश्त कर रहे है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच उक्त खेत खसरा नं. की कृषि भूमि का बाहमी विधिक रूप से अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है तथा दोनों टिनेन्ट अपने अपने कब्जा शुदा कृषि भूमि पर काश्त कर रहे है वादी ने अपने कब्जा शुदा भूमि पर टयूब वैल बना रखा है तथा उसमें बिजली कनेक्शन भी ले रखा है।

2. वादी अपने उक्त कृषि भूमि में काश्त कर रहा था तभी प्रतिवादी सं. 1 अपने साथ चार पांच व्यक्तियों को लेकर आयी ओर न जाने क्यों जो प्रतिवादी सं. 1 के ही दिमाग में वे वादीको उसकी खातेदारी कृषि भूमि से बेदखल करने का असफल प्रयास किये जाने लगा। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा ऐलानिया तौर पर धमकी दी जा रही है किवे येन केन प्रकारेन अवैध रूपसे उक्त कृषि भूमि को रहन बेय या किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करा दोगे तथा भौतिक रूप से कब्जा किसी तृतीय पक्षकार को सपुर्द कर देगें जिसके बाबत प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपना भरसक प्रयास भी किया जा रहा है।

3. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अन्य दलालों के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण कर दिया या विभाजन करवायें बिना ही कब्जा किसी तृतीय पक्षकार को सपुर्द कर दिया गया तो वादी को अपनी ही कृषि भूमि से बेदखल होना पडेगा। इसलिये वादी को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी रोक आज्ञा प्राप्त करें। वादी भी उक्त कृषि भूमि में बहैशियत कॅाटिनेन्ट के काबिज है तथा काश्त कर रहा है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार टिनेन्ट दर्ज है वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अपना 1/2 हिस्से का विभाजन करवा कर अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अलग से दर्ज करवावे तथा अलग से कब्जा प्राप्त करे तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी इस आशय की प्राप्त करे कि प्रतिवादी वादी को उक्त कृषि भूमि में से जोर जबरिया तौर पर बेदखल नहीं करे तथा ना ही ऐसा कोई कृत्य करें या करवावे जिसके वादी के हिस्से पर विपरीत असर पडे या पडने की संभावना हो।

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

4. वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को अपना अपना हिस्सा अलग अलग करने के बाबत तथा आपसी विभाजन न होने तक उक्त कृषि भूमि को विक्रय ना करने तथा उक्त कृषि भूमि से जबरिया तौर पर बेदखल ना करने के बाबत अनेकों बार निवेदन किया गया लेकिन उन्होनें वादी का हिस्सा अलग करने से तथा अपने उक्त कृत्यो से बाज आने से दिनांक 04.09.2017 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। यही बिनाया दावा व मुखासमत है।

5. अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से फरमायी जावे कि विधि अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवा कर सभी पक्षकारों को राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपने अपने हिस्से का अलग–अलग कब्जा दिलवाया जावे तथा उसी आधार पर अलग–अलग हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे व स्थायी रोक आज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि से उसे जोर जबरिया तौर पर बेदखल नहीं करे तथा न ही प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करे या करवावे तथा ना कोई ऐसा कार्य करे या करवावे जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत असर पडें या पडने की संभावना हो।

6. इस वाद पत्र के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये समन से तलब किया गया। समन तामिल होकर प्राप्त हुआ व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित आयी। प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित नही होने पर आदेशिक दिनांक 24.06. 2019 द्वारा एक तरफा कार्यवाही की गयी व दावा साक्ष्यवादी में रखा गया। वादी द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया गया व दस्तावेज जो पेश किये गये पटवारी हल्का के द्वारा जारी प्रमाण पत्र Exp-1, जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 ग्राम उदयरामसर तहसील बीकानेर Exp-2, गिरदावरी सम्वत् 2072 ग्राम उदयरामसर Exp-3, बिजली बिल टयूब वैल माह मार्च 2017 Exp-4 व नक्शा खेत खसरा नं. 1297,1303 Exp-5 प्रदर्श करवाये गये । जिरह शून्य रही।

7. वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादी विवादित भूमि के सयुंक्त खातेदार है व दोनों पक्षों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर खाता विभाजन व स्थायी रोक आज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य या अकार्य करे या करवावें जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत असर पडे।

8. हमने वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकर किया जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 ग्राम उदयरामसर के खाता सं. 504 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के खसरा नं. 1297 व 1303 कुल तादादी 4.0800 हेक्टेयर में 1/2–1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपना जवाब व कोई दस्तावेज पेश नहीं किये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही है अतः वादी वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नं. 1297 तादादी 3.8900 हैक्टेयर व खसरा नं. 1303 तादादी 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 2 तादादी 4.0800 हैक्टेयर कृषि भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी कि जाती है। तहसीलदार बीकानेर को निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे कि तहसीलदार बीकानेर मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव, लगान व नक्शा की दो–दो प्रतियों में प्रेषित करे ताकि अन्तिम डिक्री पारित कि जा सके। यह भी डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी वादी के हिस्से में ऐसा कोई कार्य व अकार्य नहीं करें या करवावे जिससे वादी के अधिकारों में विपरीत प्रभाव पडे।

9. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2020.02.06 13:01:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: